बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

बिहार स्वास्थ्य सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या–93/98 से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 7121/2003 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–12448/2003 में दिनांक– 24.6.05 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–19 दिनांक– 6.6.07 से प्राप्त संशोधित अनुशंसा सूची, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमोदित रोस्टर एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 72 दिनांक 13.2.04 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं देने के प्रावधान के आलोक में तत्काल 424 (सूची संलग्न) अभ्यर्थियों को सरकार ने नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

2– इन सभी अभ्यर्थियों को निम्नांकित सूचना/प्रमाण पत्र/प्रपत्र के साथ निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव, श्री नृपति मंडल करेंगें । सभी आवश्यक प्रपत्र वेबसाईट– www.shsbihar.org. पर उपलब्ध है जिसे डाउन– लोड (down load) करके व्यवहार में लाया जा सकता है ।

(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–1859 दिनांक 8.7.2006 द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र जिसमें सभी सूचना अंकित कर लाना होगा ।

(ख) निम्नांकित प्रमाण पत्र लाना होगा –

(i) संबंधित शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र यथा– मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 की डिग्री एवं उसकी एक छाया प्रति स्वयं अभिप्रमाणित कर लायेंगे ।

(ii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (एक छाया प्रति स्वयं अभिप्रमाणित के साथ) के साथ कमिटी के समक्ष उक्त निर्धारित तिथि को लायेंगे ।

(iii) आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए । आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति भी स्वयं अभिप्रमाणित के साथ उक्त तिथि को उपलब्ध कराया जाय ।

(ग) तीन अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ लाना होगा ।

(घ) विहित प्रपत्र में सक्षम न्यायालय या पब्लिक नोटरी के समक्ष लिये गये शपथ पत्र को देना होगा ।

(ङ) प्रथम पदस्थापन के लिए पांच जिलों का Choice देना होगा ।

3– प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है । प्रमाण पत्र का सत्यापन शेखपुरा, पटना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सभागार में किया जाएगा

दिनांक	समय	क्रमांक	कुल संख्या	श्रेणी
08.10.07	10.30 पूर्वा० से	क्रमांक–1 से 110 तक	110	सामान्य श्रेणी
09.10.07	10.30 पूर्वा० से	क्रमांक–111 से 219 तक	119	सामान्य श्रेणी (एक विकलांग सहित)
10.10.07	10.30 पूर्वा० से	क्रमांक–1 से 54 तक क्रमांक–1 से 79 तक	54 79	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति
11.10.07	10.30 पूर्वा० से	क्रमांक–1 से [illegible] तक क्रमांक–1 से [illegible] तक क्रमांक–1 से 12 तक	[illegible] [illegible] 12	अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग महिला
कुल			424	

4– उपरोक्त उम्मीदवारों के आवंटित जिला में पदस्थापन की अधिसूचना जारी की जाएगी । आदेशित पदस्थापन के जिला में योगदान की तिथि से ही इनकी नियुक्ति मानी जाएगी ।

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग,बिहार,पटना ।